न्यायालय न्यायनिर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला कलक्टर, झुन्झुनू

पीठासीन अधिकारी जगदीश प्रसाद गौड़

मुकदमा नम्बर : 50/2022 आर.ए.एस

जयसिंह यादव, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, जिला झुन्झुनू।

बनाम

श्री सुभाष चन्द्र पुत्र श्री अमीलाल, मै0 छवी एन्टरप्राईजेज, पिलानी सुरजगढ रोड़, बालाजी मन्दिर के पीछे, धिंधवा बिचला, पिलानी, झुन्झुनू।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत एफ.एस.एस.ए एक्ट 2006 व सपठित धारा नियम 2011

–निर्णय– दिनांक : 24.01.2023

पत्रावली पेश हुई। खाद्य सुरक्षा अधिकारी उपस्थित। अनावेदक स्वयं उपस्थित। मैने खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एव नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा (2) (II) के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र एवं अनावेदक द्वारा प्रस्तुत जबाब पर ध्यान पूर्वक अवलोकन किया गया।

अनावेदक/अभियुक्त का कथन है कि उसकी पिलानी सुरजगढ रोड़, बालाजी मन्दिर के पीछे, धिंधवा बिचला, पिलानी-झुन्झुनू में मै0 छवी एन्टरप्राइजेज के नाम से फर्म है जहां वह मावा तैयार कर बेचान करता है। उसकी फर्म से खाद्य पदार्थ मावा का सैम्पल लिया गया था जो कि सब–स्टैण्डर्ड (Sub-standard) पाया गया है। अनावेदक ने निवेदन किया कि उसने उक्त कारोबार ही बन्द कर दिया है। अतः उसे धारा 26 (2) (II) का दोषी नहीं माना जाये।

हस्तगत प्रकरण प्रकरण में खाद्य विश्लेषक राज जयपुर से प्राप्त जांच रिपोर्ट सं0 एल.एस. /1888/एक्ट/2022/1879 दिनांक 19.05.2022 के अनुसार खाद्य पदार्थ मावा सब–स्टैण्डर्ड (Sub-standard) पाया गया है। जो एफ.एस.एस.एस.ए की धारा 26 की उपधारा (2) (II) के उल्लंघन में आता है। चूँकि अनावेदक अपनी फर्म मै0 छवी एन्टरप्राईजेज पर मावा का बेचान करता है तथा स्वयं फर्म मालिक है। अतः प्रकरण में खाद्य पदार्थ मावा सब–स्टैण्डर्ड (Sub-standard) पाये जाने की स्थिति में प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों को देखते हुये अनावेदक श्री सुभाष चन्द्र पुत्र श्री अमीलाल, मै0 छवी एन्टरप्राईजेज, पिलानी सुरजगढ रोड़, बालाजी मन्दिर के पीछे, धिंधवा बिचला, पिलानी, झुन्झुनू को धारा 26 की उपधारा (2) (II) को दोषी मानकर प्रकरण में अनावेदक को 15000/– पन्द्रह हजार रूपये अर्थदण्ड/जुर्माने से दण्डित किया जाता है। उक्त राशि राज्य सरकार द्वारा निर्धारित बजट मद में 15 दिवस में जरिये चालान बैंक में जमा कराकर चालन की एक प्रति इस न्यायालय में प्रस्तुत करें। आदेश की एक प्रति खाद्य सुरक्षा अधिकारी, को कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, झुंझुनू को भिजवाये। आदेश सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नंबर से कम हो तथा बाद तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो।

अतिरिक्त जिला कलक्टर झुन्झुनू

(जगदीश प्रसाद गौड़)
अतिरिक्त जिला कलक्टर,
झुंझुनू

Signature Not Verified

निर्णय आज दिनांक 24.01.2023 को मेरे द्वारा लिखाकर, बाद मेरे हस्ताक्षर एवं इस न्यायालय के मुद्रांकित खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Digitally signed by Jagdish Prasad Gour
Date: 2023.08.04 11:00:43 IST
Reason: SelfAttested

अतिरिक्त जिला कलक्टर झुन्झुनू

(जगदीश प्रसाद गौड़)
अतिरिक्त जिला कलक्टर,
झुंझुनू